<u>न्यायालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)</u>

सरकार बनाम अमित कुमार वगैरा

(FIR No.178/2026 PS उद्योग नगर, सीकर)

अपराध अन्तर्गत धाराः– 318(4), 61(2)(ए), 112(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 66(डी) आई.टी. एक्ट व 5, 9 ऑनलाईन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025

जमानत आवेदन (CIS) प्रकरण संख्या–137/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिएल्स जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2026	1. अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण अमित कुमार व धर्मपाल की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार हुड्डा द्वारा दिनांक 01.05.2026 को हस्तगत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल अभियोजन अधिकारी को पूर्व में दिलाई गई। केस डायरी तलब कर जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना गया। 2. दौराने बहस अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपने जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती कर कथन किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं एवं उन्हें प्रकरण गलत रूप से फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा फसाया गया है तथा उनके द्वारा कोई गेमिंग व ऑनलाईन सट्टे का कारोबार नहीं कर रहे हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।प्रार्थीगण /अभियुक्तगण से कोई बरामदगी या अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगने की संभावना है। इस प्रकार कथन करके अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण में जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। 3. जबकि अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया। 4. सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण दिनांक 30.04.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा	

	में है। यद्यपि केस डायरी में प्रार्थीगण /अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के मध्येनजर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अमित कुमार पुत्र राधेश्याम, उम्र 22 साल, निवासी सेवली, पुलिस थाना खण्डेला, जिला सीकर व धर्मपाल पुत्र रामदेवाराम, उम्र 22 साल, निवासी लालास पुलिस थाना चितावा, जिला डीडवाना कुचामन हाल किरायेदार चौखाराम का मकान शान्ति नगर, सीकर की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रथम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त 50,000/–(पचास हजार) रूपये का स्वयं का बंधपत्र व इसी कदर राशि की मौतबीर जमानत पेश कर तस्दीक करा दें तो अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे अन्यथा न्यायिक अभिरक्षा में रहें। 5. आदेश सुनाया गया। (विकास कुमार स्वामी) (UID–RJ00785) 02.05.2026 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.02 18:02:38 IST